भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3534

जिसका उत्तर मंगलवार 08 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

**भारी उद्योगों में रोजगार**

**3534. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विस्तार, नवीन प्रारंभ या अन्य गतिविधियों के माध्यम से देश में भारी उद्योगों (बडे स्तर के उद्योगों) और सार्वजनिक उद्यमों द्वारा सृजित नवीन रोजगारों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार 2009-10 से 2016-17 तक और 2017-18 में भी भारी उद्योगों (बडे स्तर के उद्योगों) और सार्वजनिक उद्यमों के द्वारा सृजित नवीन रोजगारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि हेतु भारी उद्योगों और सार्वजनिक उद्यम के विस्तार, नवीन शुरुआत का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**

**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

**(क) से (ग):** चूंकि, उद्योग राज्य का विषय है, अतः भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा देश में नवीन रोजगार सृजन और भारी उद्योगों में किए गए निवेश के कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। भारी उद्योग विभाग की भूमिका इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के प्रशासन तक सीमित है। जहां तक देश में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रोजगार एवं निवेश के ब्यौरे का संबंध है, 21 मार्च, 2017 को संसद के दोनों सदनों में लोक उद्यम सर्वे 2015-16 पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है जो कि यह दर्शाता है कि वर्ष 2011-12 को छोड़कर वर्ष 2009-10 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारियों की कुल संख्या में प्रत्येक वर्ष कमी हो रही है और पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में निवेश क्रमशः ₹992095.67 करोड़, ₹1095554.32 करोड़ और ₹1171844.25 करोड़ था।

*****